न्यायालय, कनीय न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

विभाजन वाद–25/2015

राजबली दास वगैरह .....वादीगण

बनाम्

लदिया देवी वगैरह.....प्रतिवादीगण

आदेश

8.10..2024 अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक– 19.04.2024 अतंर्गत आदेश 22 नियम 4 तथा आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 तथा प्रतिवादी की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक 03.05.2024 पर उभयपक्षों के द्वारा सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

वादी ने अपने आवेदन में यह निवेदन किया है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 ग्राम डीह बुचवनी, थाना–जन्दाहा, जिला–वैशाली के निवासी हैं जो वादी के गांव भौआ से 20 कि0मी0 की दूरी पर रहते हैं। प्रतिवादी संख्या 6 सुनिल दास के द्वारा दिनांक 14.04.2024 को जानकारी दी गई कि प्रतिवादी संख्या 5 नरेश दास की मृत्यु 1 वर्ष पूर्व हो चूका है। मृतक प्रतिवादी के अधिवक्ता की जिम्मेदारी थी कि मृत्यु की सूचना न्यायालय को दे लेकिन उनके द्वारा आजतक सूचना नहीं दी गई। मृत प्रतिवादी संख्या 5 अपने पीछे 4 पूत्र नबुदीदास, लालू दास, अरविंद दास, और पांचु दास को छोड़कर स्वर्गवासी हुए हैं इसलिए नरेश दास का नाम कलमजद कर उनके विधिक उत्तराधिकारी का नाम शामिल किया जाना न्यायहित में आवश्यक है अतः निवेदन है कि मृतक प्रतिवादी के स्थान पर उनके विधिक वारिशानों का नाम प्रतिस्थापित किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा की जाए। वादी ने अपने आवेदन के साथ प्रतिवादी संख्या 5 के मृत्यु उपरांत उनके विरूद्ध वाद का उपशमन को अपास्त करने संबंधी आवेदन तथा परिसीमा विधि की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन में मृतक प्रतिवादी संख्या 5 नरेश दास की मृत्यु लगभग 1 वर्ष पूर्व होने एवं समय–सीमा के अंदर प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल करने में हुए विलम्ब को माफ करने संबंधी आवेदन दाखिल किया है तथा उसने प्रतिवादी संख्या–6 से मृत्यु की जानकारी दिनांक 14.04.2024 को होने की बात की गई है तत्पश्चात् प्रस्तुत आवेदन दाखिल किया है।

प्रतिवादी तृतीय पक्ष की ओर से दाखिल प्रतिवेदन में निवेदन किया गया है कि वादी की ओर से दाखिल आवेदन पोषणीय नहीं है। वर्तमान वाद बहस पर निर्धारित है तथा वादी की ओर से उपरोक्त आवेदन 1 वर्ष का विलम्ब के साथ दाखिल किया गया है जिसमें प्रतिवादी संख्या 5 की मृत्यु की तिथि अंकित नहीं है इसलिए वादी की ओर से दाखिल आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने अपने आवेदन में कोई ठोस कारण विलम्ब के संबंध में दाखिल नहीं किया है तथा वादी का आवेदन प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध वाद के उपशमन होने के बाद दाखिल किया गया है। वादी की मंशा वाद को लम्बे समय तक लंबित रखने की है इसलिए प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध वाद के उपशमन को अपास्त करने संबंधि आवेदन पोषणीय नहीं है एवं खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी प्रथम एवं द्वितीय पक्ष की ओर से वादी द्वारा दाखिल आवेदन का मौखिक समर्थन किया गया है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रस्तुत वाद बहस हेतु निर्धारित है। वादी की ओर से दाखिल आवेदन में प्रतिवादी संख्या 5 नरेश दास की मृत्यु होने के कारण उनके विधिक वारीशानों को प्रतिस्थापित किये जाने के संबंध में प्रतिस्थापन आवेदन साथ ही वाद के उपशमन को अपास्त करने संबंधि आवेदन दाखिल किया है जिसमें प्रतिवादी संख्या 5 की मृत्यु लगभग एक वर्ष पूर्व हो जाने की बात कही है तथा इसकी सूचना प्रतिवादी संख्या 6 से प्राप्त होने का कथन किया है। प्रतिवादी ने अपने प्रतिउत्तर में विलम्ब से प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल किये जाने के संबंध में आपत्ति व्यक्त किया है, परन्तु प्रतिवादी तृतीय पक्ष में प्रतिवादी संख्या 5 की मृत्यु होने के कथन को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी एवं प्रतिवादीगण में से किसी के द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 के मृत्यु के संबंध में इस न्यायालय को अवगत नहीं कराया है जबकि आदेश 22 नियम 10ए यह उपधारित करता है कि किसी पक्षकार के मृत्यु होने कि स्थिति में उसके ओर से कार्यरत अधिवक्ता का यह कर्तव्य है कि संबंधित पक्षकार के मृत्यु की सूचना न्यायालय को दें। यहां प्रतिवादी प्रथम पक्ष के ओर से कार्यरत अधिवक्ता के द्वारा इस आशय की कोई सूचना नहीं दी गई है तथा वादी की ओर से दाखिल आवेदन पर मौखिक सहमति व्यक्त किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेको मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी वाद का उपशमन तकनिकी कारणों से नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उस वाद का निष्पादन साक्ष्य के परिशीलनोपरांत किया जाना चाहिए। यद्यपि वादी ने प्रस्तुत प्रतिस्थापन आवेदन एवं उपशमन को अपास्त करने संबंधी आवेदन साथ ही परिसीमा विधि के अंतर्गत दाखिल आवेदन में विलम्ब का कारण उक्त प्रतिवादी का अपने पैतृक एवं निवास स्थान पर नहीं रहने का कारण बताया है, परन्तु यहां यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि वादी ने प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल करने में चूक किया है तथा परिसीमा काल के बाहर यह आवेदन दाखिल किया है।

P.S. 25/15 Rajbali Das and Others Vs. Ladiya Devi and Others

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थिति में वादी की ओर से दाखिल तीनो आवेदन को प्रतिवादी तृतीय पक्ष को मो0 500 रू0 खर्च का रकम अदा करने के शर्त पर स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय मृत प्रतिवादी संख्या 5 नरेश दास के स्थान पर उनके आवेदनांकित विधिक वारिशानों का नाम प्रतिस्थापित करें। वादी मृत प्रतिवादी के विधिक वारिशानों के उपस्थिति हेतु शम्मन का उपकरण दाखिल करें।

दिनांक– **11.11.2024** वास्ते दाखिल करने उपकरण हेतु।

राजीव कुमार
कनीय न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी